न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2586–पीबीआर/2013 विरूद्ध अंतरिम आदेश दिनांक 17–5–2013, 28–5–2013 एवं 12–6–2013 पारित द्वारा तहसीलदार, बैरसिया जिला भोपाल प्रकरण कमांक 04/अ–27/2012–13

.....

इफ्तिखार उद्दीन अहमद पुत्र हाफिज सुलेमान खां
निवासी शांतिकुंज कॉलौनी बैरसिया
तहसील बैरसिया, जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

1– बसीम उद्दीन पुत्र हाफिज सुलेमान खां
2– कलीम उद्दीन पुत्र हाफिज सुलेमान खां
निवासीगण वार्ड कमांक 10 बैरसिया
तहसील बैरसिया, जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री एस.एस. ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक
श्री फजल खान, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 10 अप्रैल, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, बैरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–5–2013, 28–5–2013 एवं 12–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बसई, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे कमांक 495 रकबा 0.542 हेक्टयर, सर्वे कमांक 496 रकबा 0.473

हेक्टेयर, सर्वे कमांक 503 रकबा 7.831 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 504 रकबा 1.663 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 511 रकबा 0.449 हेक्टेयर में 1/2 हिस्सा आवेदक का एवं 1/2 हिस्सा अनावेदकगण का है, अतः उक्त भूमि का बटवारा किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 04/अ–27/2012–13 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा दिनांक 8–1–2013 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद कमांक 32 अ/2009 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिनांक 18–1–2013 की पेशी नियत है, और व्यवहार न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा जवाब भी प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का वर्ष 1970 से निरंतर कब्जा चला आ रहा है, और उसके द्वारा भूमि को उपजाऊं बनाया गया है, अतः अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । उक्त आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा 90 दिवस के लिए कार्यवाही स्थगित की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–5–2013 को फर्द बटान हेतु आदेश दिया गया । दिनांक 28–5–2013 की पेशी पर फर्द बटान हेतु प्रतीक्षा किए जाने के निर्देश दिये गये एवं दिनांक 12–6–2013 की आदेशिका पर फर्द बटान हेतु पटवारी को सूचना दिये जाने के निर्देश दिये गये । तहसीलदार के इन्हीं तीन आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय में पूर्व में व्यवहार वाद प्रचलित हुआ है, जिसमें आवेदक के पक्ष में निर्णय पारित हुआ है । यह भी कहा गया कि वर्ष 1970 से आवेदक का निरंतर कब्जा चला आ रहा है, और इस तथ्य को व्यवहार न्यायालय द्वारा अपने आदेश में भी मान्य किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने के तथ्य पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, न ही कोई साक्ष्य ली गई है, और सीधे फर्द बटान प्रस्तुत करने का आदेश पारित कर दिया गया है । उनके द्वारा व्यवहार वाद के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित किए जाने संबंधी आपत्ति तहसील न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है । तर्कों के समर्थन में 2002 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 80 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

(1) आवेदक द्वारा वर्तमान निगरानी इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा राजस्व इन्द्राज के आधार पर दिनांक 17–5–2013 से 12–6–2013 तक विभिन्न प्रश्नागत आदेश पारित किए गए हैं, जो कि स्वयं ही विरोधाभाषी हैं तथा स्पष्ट है कि आवेदक स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व इन्द्राज के आधार पर प्रश्नागत आदेश पारित किये गये हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के अंतर्गत वर्णित प्रावधान अनुसार ही कार्यवाही की गई है, जिसके अनुसार राजस्व अभिलेखों में संयुक्त खातेदारों के मध्य अंकित भूमियों को विकास हेतु सहखातेदारों के मध्य विभाजित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

(2) आवेदक द्वारा यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17–5–2013 को सुनवाई का मौका प्रदान नहीं किया गया है, जबकि वास्तव में आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रकरण में कार्यवाहियां की गई हैं तथा पूर्व पेशी तक आवेदक के अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं, किन्तु आवेदक एवं उनके अधिवक्ता की प्रकरण में अनुपस्थिति के चलते अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सद्भाविक रूप से कार्यवाही करते हुए प्रकरण में फर्द बटान प्रस्तुत करने संबंधी आदेश पारित किए गए हैं, जो कि संहिता की धारा 178 के प्रकरण में विधि अनुसार है तथा उसमें किसी प्रकार के त्रुटि दर्शित नहीं है ।

(3) आवेदक द्वारा प्रकरण मे विभिन्न व्यवहार वादों का हवाला देते हुए वर्तमान बटवारा प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित किए जाने अथवा रोक दिये जाने के संबंध में निवेदन किया है, किन्तु किसी भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में ऐसा कोई आदेश आज दिनांक तक पारित नहीं किया गया है कि वर्तमान वादग्रस्त भूमियों के संबंध में राजस्व न्यायालय अग्रिम कार्यवाहियां नहीं कर सकते । ऐसी स्थिति में मात्र व्यवहार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का हवाला देकर राजस्व प्रकरण की कार्यवाहियों को स्थगित नहीं कराया जा सकता है, जब तक कि सिविल न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से उक्त संबंध में आदेश पारित नहीं किया गया हो । यदि आवेदक को इस संबंध में कोई भी सहायता प्राप्त करनी

हो तो वह इस आशय का आवेदन पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों जो कि उसके बताये अनुसार सिविल न्यायालय में जहां लंबित हैं, प्रस्तुत करना चाहिए था एवं व्यवहार न्यायालय से ही आदेश पारित करवाना चाहिए था, किन्तु व्यवहार न्यायालय का ऐसा कोई आदेश आज दिनांक तक अस्तित्व में न होने के कारण आवेदक द्वारा वर्तमान निगरानी मात्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित बटवारा प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है । जहां तक राजस्व अभिलेखों में कब्जा अंकित होने का प्रश्न है, उक्त संबंध में भी नवीनतम खसरा अभिलेख एवं विगत 6 वर्षों से अधिक समय से खसरा अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि कहीं भी आवेदक का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा नहीं है । उक्त संबंध में अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संहिता की धारा 178 के प्रकरण में संबंधित हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटान से स्थिति स्पष्ट हो जाती है, किन्तु आवेदक द्वारा मात्र प्रकरण का निराकरण लंबित रखने के आशय से विधि विरूद्ध रूप से वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो सव्यय ही निरस्त किए जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय द्वारा पारित तीन अंतरिम आदेश दिनांक 17–5–2013, 28–5–2013 एवं 12–6–2013 के विरूद्ध एक ही निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि तहसील न्यायालय द्वारा पारित पृथक–पृथक अंतरिम आदेशों के विरूद्ध पृथक–पृथक निगरानी प्रस्तुत की जानी चाहिए थी । अतः यह निगरानी विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण इसी आधार पर निरस्ती योग्य है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर संहिता की धारा 178 के अंतर्गत 90 दिवस के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है, और दिनांक 17–5–2013 को फर्द बटान प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है । उक्त आदेश के प्रतिरोध में आवेदक की ओर से तत्समय किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । दिनांक 28–5–2013 को फर्द बटान की प्रतीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं एवं दिनांक 12–6–2013 को फर्द बटान हेतु पटवारी को सूचना दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं । उक्त दिनांक तक भी आवेदक की ओर से तहसील न्यायालय में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । अतः तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही को

अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक वरिष्ठ न्यायालयों से अथवा व्यवहार न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तब तक राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती है । तहसील न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं है, और न ही प्रस्तुत न्याय दृष्टांत विचार योग्य है । दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी सारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, बैरसिया जिला भोपाल द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–5–2013, 28–5–2013 एवं 12–6–2013 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर